भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3162
दिनांक 06 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस में अनियमितताएं

3162. श्री प्रताप चंद्र सारंगी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या विभिन्न राज्यों में एकीकृत बाल विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उनके मंत्रालय को नियमित रूप से कई शिकायतें की गई हैं;
(ख) यदि हां, तो शिकायतों की प्रकृति क्या है और उनके निपटान का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने योजना में सुधार की आवश्यकता महसूस की है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : आंगनवाड़ी सेवा केंद्रीय प्रायोजित योजना है तथा योजना के प्रशासन, प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तदनुसार यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे आंगनवाड़ी सेवाओं के वर्तमान नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के आलोक में मुद्दे की जांच करने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सूचित करते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अग्रेषित किया जाता है।

(ग) और (घ) : आंगनवाड़ी योजना का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :

i. आंगनवाड़ी सेवाओं के अभिसरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पूरे देश में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ii. गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटीधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, प्रापण की प्रक्रिया और आयुष की संकल्पनाओं का एकीकरण तथा डेटा प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 13.01.2021 को समन्वित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
iii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सेवाओं के शीघ्रता से प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा लाभार्थियों की परिभाषित संकेतकों पर ट्रैकिंग के लिए डेटा विश्लेषण का प्रयोग करके पूरक पोषण के प्रावधान की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2021 में पोषण ट्रैकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की संकल्पना तैयार की है जो मजबूत आईसीटी समर्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन पर इस मंत्रालय को प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत कर रहे हैं।
iv. बजट 2021-22 में घोषित मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) स्वास्थ्य, आरोग्यता तथा बीमारी एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं पर फोकस के साथ पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच एवं परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है।

****